



परिशिष्ट - 1

निःशुल्क

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

छावनी परिषद् महुजिला

2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर निगम/नगर पालिका/छावनी परिषद्

आवेदक
का
फोटोग्राफ

विषय : 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक का बी.पी.एल. कार्ड क्रमांक

1. आवेदक का नाम

2. पिता/पति का नाम

3. जाति वर्ग एससी एसटी ओबोसी सामान्य अल्प संख्यक

4. आवेदक की जन्म तिथि

5. आवेदन के समय आयु

6. आवेदक के मूल निवास का पूर्ण पता

7. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता

8. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई हो तो)

9. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी :

क्रमांक	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
6					

10. क्या आवेदक को पूर्व से कोई पेंशन प्राप्त हो रही है

11. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण-पोषण हेतु कोई राशि, अनाज/अन्य सहायता प्राप्त हो रही है।

इदि

यदि हों तो कितनी और किस रूप में

12. वर्तमान में जीविका का साधन/वार्षिक आय

13. आवेदक का बचत खाता

आवेदक/खाताधारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

सत्यापन

कार्यालय जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/छावनी परिषद्

.....जिलाम.प्र.

क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती

पिता/पति निवासी ग्राम/नगर

तहसील/विकासखण्डजिलाद्वारा

जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/छावनी परिषद्

जिलाको प्रस्तुत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/

निशक्त पेंशन योजना के आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक की पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण पेंशन स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने के अनुशंसा की जाती है।

गवाह (नाम एवं हस्ताक्षर)

1.

2.

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

जनपद पंचायत/नगर निगम/

नगर पालिका/छावनी परिषद् द्वारा

अधिकृत अधिकारी

घोषण-पत्र

मैं कुमारी/श्री/श्रीमती

पिता/पति

निवासी.....

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है।

यदि ऊपर लिखि जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरी पेंशन बन्द कर मैंने जो राशि पेंशन में प्राप्त की है,

वह मुझसे शासन द्वारा वसूल की जा सकती है।

14. संलग्न दस्तावेज का विवरण -

1. मोबाईल नम्बर.....
2. आधार नम्बर.....
3. फोटो 02.....
4. बी.पी.एल. राशन कार्ड.....
5. बैंक की पास बुक.....
6. निःशक्त प्रमाण-पत्र.....
7. पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र.....
8. तलाक शुदा का प्रमाण-पत्र.....
9. समग्र आई डी पत्रक.....
10. परिचय पत्र.....

आवेदक के हस्ताक्षर